बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक :– ई2–1–7/2015 (खण्ड–1) 95 पटना, दिनांक 09 जनवरी, 2020.

प्रेषक

बैजूनाथ कुमार सिंह,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी,
किशनगंज, सहरसा, वैशाली, बांका,
मुंगेर, रोहतास, अरवल एवं जहानाबाद।

विषय : सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक भागीदारी कार्यक्रम (SVEEP) गतिविधियों में उपयोग किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निधि (Fund) के प्रथम किस्त की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक 6072 दिनांक 31.07.2019 एवं 7064 दिनांक 03.10.2019, पत्रांक 7755 दिनांक 13.11.2019 पत्रांक 7880 दिनांक 20.11.2019, पत्रांक 7977 दिनांक 26.11.2019, पत्रांक 8189 दिनांक 13.12.2019 एवं पत्रांक 8303 दिनांक 23.12.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया संदर्भ किया जाये। प्रासंगिक पत्र संख्या 6072 दिनांक 31.07.2019 द्वारा सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक भागीदारी कार्यक्रम (SVEEP) गतिविधियों में उपयोग किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निधि (Fund) के प्रथम किस्त की राशि ₹53,909/– प्रति विधान सभा (शिवहर जिला को ₹113/– अतिरिक्त) की दर से सभी जिलों को तथा प्रासंगिक पत्र संख्या 7064 दिनांक 03.10.2019 द्वारा उप निर्वाचन, 2019 के अवसर पर ₹460/– प्रति मतदान केन्द्र (समस्तीपुर जिला को ₹1320/– अतिरिक्त) की दर से संबंधित जिलों को उपलब्ध कराया गया था। साथ ही उक्त राशि का नियमानुसार एवं आयोग के निदेशानुसार उपयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.10.2019 तक उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जो आपके जिला से अबतक अप्राप्त है।

अतः निदेशानुसार पुनः अनुरोध है कि उक्त राशि का नियमानुसार एवं आयोग के निदेशानुसार उपयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाये, ताकि इसे समेकित कर आयोग को ससमय भेजा जा सके। उपयोगिता प्रमाण–पत्र की स्कैन प्रति ई–मेल के द्वारा तथा मूल प्रति डाक/विशेष दूत द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

विश्वासभाजन

9/1/2020

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 95 पटना, दिनांक 09 जनवरी, 2020.

प्रतिलिपि : उप निर्वाचन पदाधिकारी/प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज, सहरसा, वैशाली, बांका, मुंगेर, रोहतास, अरवल एवं जहानाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/2020

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।